कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांकः–म.7( )पु.आ.जोध / विविध / 2025 / 6079 दिनांकः– 10 .11.2025

–:: वाहन निलामी विज्ञप्ति ::–

जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मो / व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि जिला जोधपुर पश्चिम के अधीनस्थ थानों में एनडीपीएस एक्ट 1985 में जब्त शुदा वाहनों का विवरण निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	थानें का नाम	रजिस्ट्रेशन नम्बर	चैचिस नं.	दुपहिया वाहन	चौपहिया वाहन
1.	बोरानाडा	RJ19UB5888	MA1TA2HAN92L30939	–	01
		GJ01KP2260	MALCU41DLCM047401	–	01
		DL3CAJ1300	MAJAXXMRTA4K82863	–	01
2.	प्रतापनगर सदर	RJ15SB1789	MBLHA11EMB9F09286	01	–
3.	राजीव गॉधी नगर	RJ19GF-6787	MC2H3JRC0JF147112	–	01
4.	लूणी	RJ19BA9501	ME4JC731AG8007862	01	–
		RJ20CB2525	TMBCSM1Z58A156567	–	01
5.	बासनी	RJ19GA8834	81E29073	–	01
			कुल वाहन योग	02	06

उपरोक्त वाहनों को न्यायालय द्वारा धारा 52ए(2) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के बाद सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में खुली बोली द्वारा दिनांक 27.11.2025(वार बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे पुलिस थाना बोरानाड़ा जिला पश्चिम के परिसर में उपरोक्त सभी वाहनों की नीलामी कर विक्रय किया जायेगा। उक्त नीलामी निर्धारित कमेटी द्वारा की जायेगी। वाहन की नीलामी से संबंधित पूर्ण शर्तें एवं वाहनों की सूची विभागीय वेबसाईट http://jodhpurpolice.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं एंव किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर के पुलिस थाना **बोरानाडा, प्रतापनगर सदर, राजीव गॉधी नगर, लूणी, बासनी** में देखी जा सकती हैं एवं उक्त थानो में नीलामी योग्य वाहन जहां खड़े हुए है, जैसी स्थिति में है, देखे जा सकते है। वाहन जहां है, जिस स्थिति में हैं नीलाम किया जायेगा।

10/11/25

(शहीन सी)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एंव यातायात,
जोधपुर।

नीलामी की शर्ते/जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. नीलामी में व्यक्ति/फर्म भाग ले सकते हैं।
2. कोई खरीदार वाहन देखना चाहे तो वह पुलिस थाना बोरानाड़ा, **प्रतापनगर सदर, राजीव गॉधी नगर, लूणी, बासनी** आयुक्तालय जोधपुर में देख सकता हैं।
3. वाहन जहां जैसी स्थिति में हैं, के आधार पर नीलामी किया जायगा।
4. प्रत्येक वाहन की बोली अलग–अलग (वाहन वार) लगानी होगी, कमेटी चाहेगी तो समूह में भी नीलामी की जा सकती हैं।
5. अमानत राशि 20000/– रूपये प्रत्येक चौपहिया वाहन के लिये व 5000/– रूपये प्रत्येक दुपहिया वाहन के लिये अलग–अलग होगी, जो पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद द्वारा जमा करानी होगी। नीलामी दिनांक को नीलामी बोली प्रारम्भ होने से पूर्व डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद जमा कराना होगा, तत्पश्चात प्राप्त डिमाड ड्राफ्ट/नगद को स्वीकार नही किया जावेगा।
6. नीलामी में सफल बोलीदाता को वाहन के विक्रय पर नियमानुसार प्रवृत समस्त प्रकार राजकीय कर, फीस, जी.एस.टी. एवं वैट आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा करानी होगी। वाहन को परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त ही उपयोग में लिया जा सकेगा।
7. नीलामी प्रक्रिया में प्रत्येक वाहन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम बोली स्वीकृत होगी, उसे अधिकतम बोली की राशि कम से कम एक चौथाई राशि तत्काल उसी समय जमा करानी होगी तथा शेष राशि 03 कार्य दिवस के भीतर आवश्यक रूप से पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जोधपुर में जमा करानी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात ही वाहन सुपुर्द किया जायेगा। प्रस्तावानुसार निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराने पर इस कार्यालय द्वारा संबंधित बोलीदाता की अमानत राशि एवं जमा कराई गई एक चौथाई राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. अंतिम बोली पर छोड़े गये वाहन को आदेश जारी होने के पश्चात 10 दिवस में बोलीदाता को अपने स्वयं के स्तर/साधन से वाहन उठाना होगा।
9. वाहन के पंजीयन एवं हस्तातरण आदि कराने के समस्त व्यय औपचारिकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी बोली छुड़ाने वाले की होगी। वाहन नीलामी के पश्चात इस कार्यालय द्वारा उच्चतम बोलीदाता को रिलीज मीमो दिया जायेगा, जिसके आधार पर संबंधित पंजीयन कार्यालय से वाहन का स्थानान्तरण/पंजीयन कराने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण, नीलामी शर्ते एवं वाहनों की सूची का प्रकाशन पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर होगा।कार्यालय समय में कभी भी अवलोकन किया जा सकता हैं।
11. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय या किसी एक वाहन अथवा सम्पूर्ण नीलामी को निरस्त/स्थगित करने तथा अमानत राशि निश्चित करने के सम्पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगें।

10/11/15

(शहीन सी.)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एंव यातायात,
जोधपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त जोधपुर।
3. पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व/पश्चिम।
4. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित।
5. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम आयुक्तालय जोधपुर को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित।
6. अपराध सहायक कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा को नीलामी स्थल पर उपस्थिति देने हेतु।
8. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर शहर को प्रेषित कर निर्धारित नीलामी तिथि को स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भिजवाने हेतु।
9. प्रभारी एम.टी.ओ. पुलिस लाईन आयुक्तालय जोधपुर को निलामी स्थल पर उपस्थिति देने हेतु।
10. प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है, कि आयुक्तालय जोधपुर पुलिस की वेबसाईड व पोर्टल पर उक्त नीलामी विज्ञप्ति एवं वाहन की सूची को अपलोड करावें।
11. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर शहर।
12. प्रभारी, सामान्य शाखा, कार्यालय हाजा को उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्र मे प्रकाशन कराने हेतु।
13. प्रभारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख हैं, कि उक्त नीलामी कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराने हेतु सम्पूर्ण तैयारी के साथ नियत दिनांक, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
14. थानाधिकारी, पुलिस थाना बोरानाड़ा, राजीव गॉधी नगर, प्रतापनगर सदर,लूणी, बासनी, जिला जोधपुर पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड पुलिस लाईन रातानाडा जोधपुर।
16. संचित निरीक्षक पुलिस लाईन/एम.टी.ओ को प्रचार बाबत एंव निर्धारित निलामी स्थल पर मिडियम वाहन पुलिस आयुक्त कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
17. थानाधिकारी बोरानाडा को भेजकर कर निर्देशित किया जाता है कि निलामी दिवस को सम्पूर्ण निलामी व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
18. केशियर कार्यालय हाजा को निलामी स्थल पर उपस्थित रहने बाबत्।
19. समस्त थानों के मालखाना प्रभारी निलामी स्थल पर निलामी कमेटी के साथ उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता हैं।

10/11/15

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एंव यातायात,
जोधपुर।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर

–: नीलामी योग्य वाहनों की सूची :–

क्र. स.	नाम थाना	प्रकरण संख्या	धारा	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	रजिस्ट्रेशन नम्बर	ईंजन नम्बर	चैचिस नम्बर
1.	राजीव गांधी नगर	96/ 25.04. 2023	8/15 एनडीपीएस एक्ट	EICHER PRO 3015 J HSD	2018	RJ19GF6787	E424CDJF222162	MC2H3JRC0JF147112
2.	प्रतापनगर सदर	116/ 10.06. 2024	8/18, 20 एनडीपीएस एक्ट	M- CYCLE HERO HONDA CD DELUX E	2011	RJ15SB1789	HA11ECB9F24840	MBLHA11EMB9F09286
3.	बोरानाडा	190/ 11.10. 2016	8/18, 27, 28, 29 एनडीपीएस एक्ट व 467, 468, 471 भादस	MAHINDRA SCORPIO VLX 2.2HAWK 2WD	2010	RJ19UB5888	HA94L32783	MA1TA2HAN92L30939
4.	बोरानाडा	190/ 11.10. 2016	8/18, 27, 28, 29 एनडीपीएस एक्ट व 467, 468, 471 भादस	HYUNDAI MOTOR VARNA VTVT SX 1.6	2012	GJ01KP2260	G4FCBU362415	MALCU41DLCM047401
5.	बोरानाड़ा	138/ 31.10. 2013	8/15 एनडीपीएस एक्ट	FORD IKON	2004	DL3CAJ1300	4K82863	MAJAXXMRTA4K82863
6.	लूणी	35/ 11.03. 2017	8/18 एनडीपीएस एक्ट	HONDA SHINE	2016	RJ19BA9501	JC73E80022217	ME4JC731AG8007862
7.	लूणी	136/ 23.08. 2016	8/15 एनडीपीएस एक्ट	SKODA AUTO INDIA LAURA ELEGANCE AT (77KW, TDI)	2009	RJ20CB2525	BJB273000	TMBCSM1Z58A156567
8.	बासनी	417/ 11.11. 2010	8/15 एनडीपीएस एक्ट	PIKUP CBC SINGLE WHEEL BASE CAPB	2008	RJ19GA8834	GA81E17052	81E29073

कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांकः– म.7( )पु.आ.जोध / विविध / 2025 / दिनांकः– .11.2025

सम्पादक,
राजस्थान पत्रिका
जोधपुर।

विषयः– वाहनों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के संबधं में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं, कि पुलिस आयुक्तालय जोधपुर जिला पश्चिम के अधीन थानो में एनडीपीएस एक्ट में जब्तशुदा वाहनों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति संख्या क्रमांक.7( ) पु.आ.जोध. / विविध / 2025 / .....दिनांक..... 10/11/2025 सलंग्न भिजवाई जा रही हैं। कृपया इनका प्रकाशन आपके दैनिक समाचार पत्र के जोधपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस एवं डी.पी.आर. की न्यूनतम दर पर आज ही प्रकाशित करवाकर बिल इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें। न्यूनतम स्पेस एवं डी. पी.आर. की न्यूनतम दर से ही भुगतान देय होगा।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

10/11/25

(शहीन सी)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एंव यातायात
जोधपुर।

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी, सामान्य शाखा, कार्यालय हाजा को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्र में कराने हेतु प्रेषित हैं।
2. प्रभारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को उक्त विज्ञप्ति का बिल भुगतान कराने हेतु प्रेषित हैं।

10/11/25

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एंव यातायात
जोधपुर।